ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर,176039
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024
भाग-1

1. **प्रस्तावना:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत घंगोट कलां में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री यशपाल सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री योगराज	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	0.13
2	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट	5.36

		फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	
3	9.1	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक व गलत भुगतान करना	0.02
4	9.2	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.25
5	9.3	प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने बारे	3.24

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों के दौरान गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कृत कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु अधियाचना संख्या 693/2024 दिनांक 06.01.2025 के प्रत्युतर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर का यह **प्रथम** अंकेक्षण है।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक और श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 06.01.2025 से 09.01.2025 तक ग्राम पंचायत घंगोट कलां के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	02/2023	11/2022
2023-24	01/2024	07/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत*

व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹6400.00** (14वें व 15वें वित्तायोग के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 702/2024 दिनांक 08/01/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत घंगोट कलां, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 693/2024 दिनांक 06.01.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों अर्थात स्व: स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग) (Offline), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Online), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान (आरजीएसए) (Offline), 15वें वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

(1)(क) स्व: स्त्रोत व अनुदान :-

ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	990925.27	1649503.00	2640428.27	1574714.40	1065713.87
2023-24	1065713.87	1916315.00	2982028.87	1900299.18	**1081729.69**

(ख) अनुदान :- (SBM + RGSA + MANREGA)

ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	0.00	1582992.38	1582992.38	1570621.38	12371.00
2023-24	12371.00	1341135.50	1353506.50	1340674.50	**12832.00**

नोट :- ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2022 से 31.03.2023 का अंकेक्षण जिला पंचायत अधिकारी, कार्यालय हमीरपुर द्वारा ऑनलाइन कर लिया गया था जिसके कारण अवधि 01/04/2022 से 31.03.2023 का अंकेक्षण ऑफलाइन नहीं किया गया । अवधि 01/04/23 से 31/03/24 तक के 15वें वितायोग के अनुदानों का ऑनलाइन अंकेक्षण ऑफलाइन अंकेक्षण के साथ कर लिया गया है, जिससे संबन्धित वित्तीय स्थिति निम्न तालिकानुसार है ।

15वां वितायोग शीर्ष(Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
1	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2	2023-24	1716286.00	332558.00	2048844.00	1093862.00	**954982.00**

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
निधि	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय (₹)**	**कुल योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अंत शेष (₹)**
स्व: स्त्रोत व अनुदान प्लानिंग	2022-23	990925.27	1649503.00	2640428.27	1574714.40	1065713.87
	2023-24	1065713.87	1916315.00	2982028.87	1900299.18	**1081729.69**
15वें वितायोग शीर्ष	2023-24	1716286.00	332558.00	2048844.00	1093862.00	**954982.00**
अन्य अनुदान	2022-23	0.00	1582992.38	1582992.38	1570621.38	12371.00
	2023-24	12371.00	1341135.50	1353506.50	1340674.50	**12832.00**
संकलित वित्तीय स्थिति का कुल अंतिम शेष (1081729.69+954982.00+12832.00)						**2049543.69**

नोट :- 15वें वितायोग के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया जा चुका है तथा इससे संबन्धित अंकेक्षण आपत्तियाँ भी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है।

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के बैंक शेष का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत & अनुदान (प्लानिंग)	KCCB Bijhari	20011007028	23335.18
2	स्व: स्त्रोत & अनुदान (प्लानिंग)	KCCB Bijhari	20036003885	328331.00
3	स्व: स्त्रोत & अनुदान (प्लानिंग)	KCCB Bijhari	20036004266	648225.00
4	हरियाली (अंशदान)	PNB Garli	2248000106068160	81838.51
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान	Indusind Hamirpur	100167369023	12832.00
6	15वां वितायोग	Axis Bank Hamirpur	920010000142702	1053585.00
कुल योग				**2148146.69**

(3) बैंक समाधान विवरणी दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार :-

1	स्व: स्त्रोत -दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "क" का अंतिम शेष	1081729.69
2	अनुदान दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "ख" का अंतिम शेष	12832.00
3	दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "क" व "ख" का कुल अंतिम शेष	1094561.69
4	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के **बैंक** खातों का कुल अंतिम शेष	1094561.69
	अन्तर	**0.00**

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्वः-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 693/2024 दिनाँक 06.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 01 दिनांक 09.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था |

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हि० प्र० प० रा०(वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप 1 में निर्धारित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹0.13 लाख का उपयोग न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 693/2024 दिनाँक 06.01.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"1")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में **₹12832/-** की राशि उपयोग हेतू शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 693/2024 दिनाँक 06.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 09.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये, तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है|

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 693/2024 दिनाँक 06.01.2025 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01 दिनांक 09.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पीसीएच –एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार ग्राम

पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 693/2024 दिनाँक 06.01.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 01 दिनांक 09.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता|

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की गई थी अथवा नहीं ?

उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 693/2024 दिनाँक 06.01.2025 के क्रम संख्या 7 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **(परिशिष्ट "2")** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान गृहकर की देय राशि की वसूली हेतु शेष नहीं थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	529	50	26450	26450	26450	0
2023-24	0	537	50	26850	26850	26850	0

अत: ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर की कोई भी राशि वसूली शेष नहीं थी।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री आपूर्ति के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹5.36 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। परिणामस्वरुप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट "3"** अनुसार राशि **₹536488.00** का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस वित्तीय अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 700/2024 दिनांक 08/01/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03 दिनांक 09.01.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: राशि ₹**536488.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियम, निर्देशों अनुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स स्पेसिफिकेशन पैरा (2.1.2.13) के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-4 अनुसार** राशि **₹17584/-** का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण राशि **₹2198/-** का अधिक भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 701/2024 दिनांक 08.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 03 दिनांक 08/01/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि " उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर ₹2198/- रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन संबन्धित से वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज सम्बन्धी अभिलेख से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों सम्बन्धी अभिलेख की नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों की नमूना जांच एवं सत्यापन उपरान्त ही भुगतान किये जाने सुनिश्चित किये जाएँ।

9.2 औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना राशि ₹0.25 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं |

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित मास 11/2022 व 07/2023 में सलंग्न **(परिशिष्ट "5")** अनुसार पंचायत द्वारा राशि **₹24610/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 703/2024 दिनांक 08.01.25 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 08.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित **₹24610/**-की औपचारिकताएं पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी"। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टोर/स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.3 राशि ₹3.24 लाख के व्यय हेतु प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव से निम्न निर्माण कार्यों के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति की मांग करने पर भी उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	own sources & GIA Planning	C/o path from main road to house of sanjeev kumar	255200.00
2	own sources & GIA Planning	C/o path from shamshan ghat to vill batiana	68600.00
Total			**323800.00**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 704/2024 दिनांक 08/01/2025 द्वारा उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03 दिनांक 09.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | वांछित अभिलेख अन्केक्षणार्थ प्रस्तुत न करना स्वत: आपतिजनक है क्योंकि

नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करने से कृत व्यय की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जायें।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्टरों का रख-रखाव करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन इत्यादि की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	प्रारूप	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
3	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)(a)(b)
6	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72(1) (d)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रख रखाव न करना	30	89
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य)नियम 1997			
01	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
02	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
03	अनुदान रजिस्टर	8	34
03	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 694/2024 दिनांक 06.01.2025 द्वारा पंचायत को इस बारे अवगत करवाया गया, जिसके प्रतिउतर में सचिव द्वारा अपने पत्र 02 दिनांक 09.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को बना लिया जाएगा और अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को किये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

11 **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 693/2024 दिनांक 06.01.2025 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में पत्र संख्या 03 दिनांक 09.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार इस सन्दर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है, अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:**- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्रति

02 APR 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)120/2025 खण्ड–1 –1917–1921 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझडी, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझडी, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित
ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्व: स्त्रोत व अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2022-23	990925.27	1649503.00	2640428.27	1574714.40	1065713.87
2	2023-24	1065713.87	1916315.00	2982028.87	1900299.18	**1081729.69**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2022-23	0.00	1582992.38	1582992.38	1570621.38	12371.00
2	2023-24	12371.00	1341135.50	1353506.50	1340674.50	**12832.00**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2022-23	990925.27	3232495.38	4223420.65	3145335.78	1078084.87
2	2023-24	1078084.87	3257450.50	4335535.37	3240973.68	**1094561.69**

Diff	**0.00**

ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
स्व: स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग) (Offline) शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
1	2022-23	990925.27	1649503.00	2640428.27	1574714.40	1065713.87
2	2023-24	1065713.87	1916315.00	2982028.87	1900299.18	**1081729.69**

स्वच्छ भारत मिशन (पीएफ़एमएस)(Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2023-24	0.00	36000.00	36000.00	36000.00	**0.00**

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान (आरजीएसए)(Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2022-23	0.00	512371.00	512371.00	500000.00	12371.00
2	2023-24	12371.00	461.00	12832.00	0.00	**12832.00**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
1	2022-23	0.00	1070621.38	1070621.38	1070621.38	0.00
2	2023-24	0.00	1304674.50	1304674.50	1304674.50	**0.00**

परिशिष्ट '2' पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खंड बिझड़ी, जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृह कर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	529	50	26450	26450	26450	0
2023-24	0	537	50	26850	26850	26850	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगोट कलां वि० ख०
बिझड़ी जिला हमीरपुर हि० प्र०

परिशिष्ट 'ड' पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत धंगोट कलां, विकास खंड बिझड़ी, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे
(01.04.2022 से 31.03.2024)

Ser No	SCHEME	NAME OF WORK	VOUCHE No	NAME OF VENDER	MATERIALS	Qty	TOTAL (₹)
1	MNREGA	C/o Protection wall in the L/o Sumna Devi w/o Pawan kumar vill Ghangotkalan	1778	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Sand Aggrigate	175 cft 195	7700.00 7800.00
2	MNREGA	C/o R wall in the L/o Jaswant Singh s/o Peeru Ram Ghangotkalan	1774	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Sand Aggrigate	147 cft 200 cft	5880.00 8000.00
3	MNREGA	C/o R wall in the L/o Tilak Singh s/o Hardev Singh Ghangotkalan	50	Rakesh Kumar s/o Hakam Singh Ghangot	Sand	200 cft	8000.00
4	MNREGA	C/o R wall in the L/o Tilak Singh s/o Hardev Singh Ghangotkalan	137	Rinku S/o Dhian Singh Vill Gutiana P.o Ghangot The . Barsar Distt. Hamirpur	Aggrigate	200 cft	8000.00
5	MNREGA	C/o R wall in the L/o Raftar Singh s/o Hardev Singh Ghangotkalan	136	Rinku S/o Dhian Singh Vill Gutiana P.o Ghangot The . Barsar Distt. Hamirpur	Aggrigate Sand	190 cft 190 cft	7600.00 7600.00
6	MNREGA	C/o R.wall in the L/o Simro devi w/o Amarnath vill Baddu	49	Rakesh Kumar s/o Hakam Singh v.p.o Ghangot The Barsar distt. Hamirpur	Aggrigate Sand	160 cft 160 cft	6400.00 6400.00
7	MNREGA	C/o RwH tank in the L/o Jasbir Singh s/o Sansar Singh Ghangotkallan	134	Rinku S/o Dhian Singh Vill Gutiana P.o Ghangot The . Barsar Distt. Hamirpur	Aggrigate	305 cft	12500.00
8	MNREGA	C/o RwH tank in the L/o Ram Pyari w/o Balbir Singh Ghangotkallan	135	Rinku S/o Dhian Singh Vill Gutiana P.o Ghangot The . Barsar Distt. Hamirpur	Aggrigate	265 cft	10600.00
9	MNREGA	C/o RwH tank in the L/o Jasbir Singh s/o Sansar Singh Ghangotkallan	47	Rakesh Kumar s/o Hakam Singh v.p.o Ghangot The Barsar distt. Hamirpur	Sand	305 cft	12200.00
10	MNREGA	C/o RwH tank in the L/o Ram Pyari w/o Balbir Singh Ghangotkallan	48	Rakesh Kumar s/o Hakam Singh v.p.o Ghangot The Barsar distt. Hamirpur	Sand	300 cft	12000.00
11	MNREGA	C/o Land Cons work in the L/o Om Parkash s/o Shiv Ram Rappar	364	Sunil Sharma s/o Purshotam Chand vill Chhaproh P.o Harsour The Barsar Distt. Hamirpur	Aggrigate Sand	167 cft 167 cft	6680.00 6680.00
12	MNREGA	C/o Protection wall Urmila Devi w/o Balwant singh vill Ghangot	1891	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Aggrigate Sand	180 cft 112 cft	7200.00 4928.00
13	MNREGA	C/o R wall in the L/o Bhagirath s/o Thakuria Ram Ghangot	1889	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Aggrigate Sand	200 cft 151.45 cft	8000.00 6664.00
14	MNREGA	C/o Protection wall GPS Ghangotkalan	6	Vinay Kumar SO Nikka Ram VPO Chakmoh	Sand Aggrigate	400 CFT 724 CFT	16800.00 28960.00
15	MNREGA	C/o Protection wall Om Parakash s/o Shiv Ram Rappar	27	SURINDER SINGH Vill Ghumarwin P.o Baliah The. Barsar Distt. Hamirpur	Sand Aggrigate	135.45 CFT 250 CFT	5960.00 10000.00
16	MNREGA	C/oProtection wall in L/o Tilak Singh s/o Hardev Singh vill Ghangotkalan	61	Vinay Kumar SO Nikka Ram VPO Chakmoh	Sand Aggrigate	173.80 CFT 220 CFT	7300.00 8800.00
17	MNREGA	C/o Protection wall in L/o Raftar Singh s/o Hardev Singh Ghangotkalan	8	Vinay Kumar SO Nikka Ram VPO Chakmoh	Sand Aggrigate	152.38 CFT 240 CFT	6400.00 9600.00
18	MNREGA	C/o Protection wall in the L/o Amarnath s/o Rattan chand Rappar	28	SURINDER SINGH Vill Ghumarwin P.o Baliah The. Barsar Distt. Hamirpur	Sand Aggrigate	119.54 CFT 250 CFT	5260.00 10000.00
19	MNREGA	C/o Community well in the L/o Vikram Singh w no 5 vill Ghangotkalan catch the rain	9	Vinay Kumar SO Nikka Ram VPO Chakmoh	Aggrigate	50 CFT	2000.00
20	MNREGA	C/o P wall in the L/o Kuldeep Singh s/o Rosan Lal Gutiana	202	Sunil Sharma s/o Purshotam Chand vill Chhaproh P.o Harsour The Barsar Distt.	Sand Aggrigate	190 CFT 200 CFT	8360.00 8000.00
21	MNREGA	C/o Protection Wall in L/o Tilak Raj s/o Jagat Ram Batiana	3	Dinesh Kumar Vill Ghatapanga P.O Ghangot The. Barsar Distt. Hamirpur	Sand Aggrigate	190 CFT 210 CFT	8360.00 8400.00
22	MNREGA	C/o Protection Wall in L/o Udho Ram s/o Lal Chand Ghangotkalan	1	Dinesh Kumar Vill Ghatapanga P.O Ghangot The. Barsar Distt. Hamirpur	Sand Aggrigate	165 CFT 200 CFT	7260.00 8000.00
23	MNREGA	C/o Protection wall Mahinder singh s/o Roop Lal Gutiana	379	Datyal Building Material Vill Balhi P.O Bairi The. Barsar Distt. Hamirpur	Sand Aggrigate	172 CFT 210 CFT	7568.00 8400.00
25	MNREGA	C/o Protection wall in L/o Rabel Singh s/o Babu Ram vill Ghangot	1893	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Sand Aggrigate	162 CFT 200 CFT	6804.00 8000.00
26	MNREGA	C/o Protection wall in L/o Nirmal Singh S/o Babu Ram Vill Ghangot	2159	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Sand Aggrigate	186 CFT 200CFT	7812.00 8000.00
27	MNREGA	C/o Protection Wall in L/o Rakesh Kumar s/o Rosan Lal Gutiana	204	Sunil Sharma s/o Purshotam Chand vill Chhaproh P.o Harsour The Barsar Distt.	Sand Aggrigate	175 CFT 210CFT	7700.00 8400.00
28	MNREGA	C/o Protection wall in L/o Devinder Singh s/o Anant Ram vill Ghangot	6	Dinesh Kumar Vill Ghatapanga P.O Ghangot The. Barsar Distt. Hamirpur	Sand Aggrigate	168 CFT 210CFT	7392.00 8400.00
29	MNREGA	C/o Protection Wall in L/o Randeep Singh s/o Budhi Singh vill Ghangot	5	Dinesh Kumar Vill Ghatapanga P.O Ghangot The. Barsar Distt. Hamirpur	Sand Aggrigate	176 CFT 230CFT	7744.00 9200.00
30	MNREGA	C/o Protection wall Umesh kumari w/o Narpal Singh vill Ghangot	2162	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Sand Aggrigate	173 CFT 210CFT	7266.00 8400.00
31	GIA Planning	C/o Sampark marg main road to sanjeev kumar house vill batiana	62	Vinay Kumar SO Nikka Ram VPO Chakmoh	Aggrigate Sand	500 CFT 430 CFT	20000 18060
32	GIA Planning	C/o Sampark marg main road to sanjeev kumar house vill batiana	2399	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	 Aggrigate	220 CFT 223.50 CFT	 8940.00

ग्राम पंचायत धंगोट कलां विकास खंड बिझड़ी जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

18

		house vill batiana		The. Bangana Distt. Una	Sand	200 CFT	8400.00
33	GIA Planning	C/o Sampark marg main road to sanjeev kumar house vill batiana	2457	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Aggrigate sand boulder	164 CFT 70 CFT 250 CFT	6560 2940.00 7000.00
34	GIA Planning	C/O Path with pully near the shamshanghat vill baddu	413	Sunil Sharma s/o Purshotam Chand vill Chhaproh P.o Harsour The Barsar Distt. Hamirpur	Aggrigate Sand	400 CFT 111.54	16000 4908.00
35	15th FC	Add. Amt Toilet anganwari Vill Gutiana	2263	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Aggrigate Sand	22 CFT 32.27 CFT	880 1420.00
36	15th FC	R/o Community Toilet Vill Baddu	2189	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Sand	34 CFT	1490.00
37		C/o Shok Pit Gawla Vass	2266	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Aggrigate Sand	170 CFT 86.23 CFT	10422.00
38	15th FC	C/o Well Vill Ghangotkalan Ward n05	4	Vinay Kumar SO Nikka Ram VPO Chakmoh	Aggrigate Sand	50 CFT 200 CFT	10800.00
39		C/o Well Vill Ghangotkalan Ward n05	5	Vinay Kumar SO Nikka Ram VPO Chakmoh	Aggrigate Sand	85 CFT 70 CFT	6340.00
40	15th FC	C/o Well Vill Ghangotkalan Ward n06	2458	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	Aggrigate Sand	30 CFT 15 CFT	1850.00
41	15th FC	C/o Path Shamshanghat to Vill Gutiana	417	Sunil Sharma s/o Purshotam Chand vill Chhaproh P.o Harsour The Barsar Distt. Hamirpur	Aggrigate sand boulder	348 CFT 184 CFT 78 CFT	22016.00 2184.00
42	15th FC	C/o Path boudi to Vill Ghangot uperla vass	104	Vinay Kumar SO Nikka Ram VPO Chakmoh	Aggrigate Sand	200 CFT 200 CFT	16400.00
		Total					**536488.00**

बिझड़ी जिला हमीरपुर हि० प्र०

परिशिष्ट '4' पैरा संख्या 9.1 में सदर्भित

ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खंड बिझड़ी, जिला हमीरपुर								
पत्थर की खरीद में रिक्तियों (voids) की कटौती न करने बारे								
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा वर्ग मीटर / वर्ग फीट	कुल भुगतान (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	GIA Planning	C/o Sampark marg main road to sanjeev kumar house vill batiana	Ridhima TilesVill Amrera P.O Malanger The. Bangana Distt. Una	boulder	470 CFT	13160.00	12.5	1645.00
2	GIA Planning	C/o Path boudi to Vill Ghangot uperla vass	Vinay Kumar SO Nikka Ram VPO Chakmoh	boulder	78 CFT	2184.00	12.5	273.00
3	GIA Planning	C/o Path from shamshan ghat to vill ghutiana	sunil sharma vill chhareroh po harshor, barsar	boulder	80 CFT	2240.00	12.5	280.00
Total						17584	12.5	2198.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगोट कलां वि० खण्ड
बिझड़ी जिला हमीरपुर हि० प्र०

20

(19)

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित						
ग्राम पंचायत घंगोट कलां, विकास खंड बिझड़ी, जिला हमीरपुर						
औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय						
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	own sources & GIA Planning	office exp	65	Sunil Gen store, ghangot kalan, barsar	Refreshment	3630.00
2	own sources & GIA Planning	Misc exp	333	Lucky Hardware store, Harsour, barsar	Lime	9280.00
3	own sources & GIA Planning	office exp	87	Sunil Gen store, ghangot kalan, barsar	Refreshment	5760.00
4	own sources & GIA Planning	office exp	78	Sunil Gen store, ghangot kalan, barsar	Refreshment	5940.00
Total						24610.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगोट कलां वि० खण्ड
बिझड़ी जिला हमीरपुर हि० प्र०

21